

जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 अन्तर्गत सूचना प्राप्ति आवेदन

सेवा में,

आपुम् राज्यपद/जनसूचना की प्राप्ति

मद्दति विभाग के अंतर्गत

क्रमांक ६३८८
पंजीयन

- 1— आवेदक का नाम.....
- 2— आवेदक का पता.....
- 3— दूरभाष, मोबाइल, ई—मेल यदि कोई है तो,
- 4— मांगी गयी सूचना का व्योरा (यदि आवश्यक हो तो पृथक से पृष्ठ भी संलग्न करे).....
- (१) उपरिपुम् विभाग का आदिकारी नामज्ञ कि अधिकारी के नाम बनाए जाए।
है का ऐदी रूपे अंतिमी के नाम बनाए जाए।
- (२) उस शासनदेश/संकुल की पुस्तिहासित उपलब्धकारी जोड़े दिए उपरोक्त विभाग का अधिकारी का नाम बनाए जाए।
- 5— क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित है हाँ/नहीं (के सम्बन्ध में 72 घण्टे के भीतर सूचना अधिकारी सूचना देने के लिए बाध्य है) यदि हाँ तो उसका कारण.....
- 6— जमा की गयी फीस का विवरण। १०.८ का २०२० त्रै-४२८ ०८२४३।
- 7— संलग्नकों की सूची.....

नोट :-

- 1— सभी सूचनाएं राष्ट्रभाषा हिन्दी में एवं पंजीकृत भाक के माध्यम से ही स्वीकार होंगी।
- 2— सभी सूचनाएं निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत ही मान्य होंगी, मांगी गयी सूचनाएं साफ, स्पष्ट, पठनीय एवं प्रभाप्रित ही मान्य होंगी।
- सूचनाएं अपूर्ण, असत्य, निराधार अथवा तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किये जाने एवं उपरोक्तानुसार या भांगे गये स्वरूप में न होने अथवा किसी भी उल्लंघन होने की दशा में समस्त जिम्मेदारी सूचना अधिकारी की ही होगी।

Q-2

रु. 1620 पा/ज/26

प्रारूप-13

छंटा 3

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपील

सेवा में,

श्री नवी कृष्ण कुमारी
राज्य सूचना अधिकारी / उत्तराखण्ड अधिकारी

उत्तराखण्ड

(प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्यरत
अधिकारी का पदनाम और पता)

क : अपीलार्थी से सम्पर्क हेतु आवश्यक विवरण :

1-अपीलार्थी का नाम	[REDACTED]
2-डाक का पता, सेल-फोन नम्बर और ई-मेल पता (यदि कोई हो)	[REDACTED]

ख : अपील का विवरण :

1-उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का विवरण, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है	<table border="1"> <tr> <td>नाम (यदि उपलब्ध हो)</td><td>[REDACTED]</td></tr> <tr> <td>पदनाम</td><td>आमुद्र / कर्मचारी नं १५८</td></tr> <tr> <td>पता</td><td>राज्य सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड</td></tr> </table>	नाम (यदि उपलब्ध हो)	[REDACTED]	पदनाम	आमुद्र / कर्मचारी नं १५८	पता	राज्य सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड
नाम (यदि उपलब्ध हो)	[REDACTED]						
पदनाम	आमुद्र / कर्मचारी नं १५८						
पता	राज्य सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड						
2-राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने का दिनांक (राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत अनुरोध की एक प्रति अवश्य जल्दी की जाए)	११६०/२१-०५-१९८६ संग्रहीत दिन						
3-अपील के आधार (यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जाए तो ऐसे आदेश की एक प्रति अवश्य काइत की जाए)	<p>कोटि रुपयों का उपर्युक्त रिकॉर्ड - ३१-०५-७</p> <p>(यदि उपर्युक्त रथान पर्याप्त न हो तो पृथक पृष्ठ लगाएं)</p>						
4-प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष	इन उम्मीद विवरों उपर्युक्त करनी जाएँ।						
5-यदि अपील विहित अवधि के पश्चात काइत की जारही हो तो विलम्ब का कारण	विलम्ब						
6-उन दस्तावेजों को सूची जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और जिन पर यह निर्भर हो।	7- ८०९०२ ३५०१२१३०२३५३						

प्रतीक्षा का दिनांक - १२०३/१२-०६-१९

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

उपर्युक्त
१४/६/२०१९

१४/६/१९